
अध्याय 1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 की तुलना में मुख्य राजकोषीय मात्रा परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे में सम्मिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	1,12,33,522	1,24,45,128	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.79	10.60	10.82	9.96
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.37	9.25	10.48	20.51	10.61
स्थिर मूल्य ² पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,65,134	3,84,105	4,07,970	4,65,136	4,99,102
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.82	5.20	6.21	14.01	7.30

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2018 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 88,817 था जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,29,800 था। यह पड़ोसी राज्य झारखण्ड (₹ 74,390) एवं उत्तर प्रदेश (₹ 61,558) से बेहतर लेकिन छत्तीसगढ़ (₹ 1,10,628) से कम था।

परिशिष्ट 1.2 के **भाग (क)** में सरकारी लेखों की संरचना की व्याख्या की गई है तथा **भाग (ख)** में वित्त लेखे का अभिन्यास (layout) दिया गया है। चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है को **परिशिष्ट 1.2** के **भाग (ग)** में दिया गया है।

¹ सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः देश एवं राज्य के अन्दर परिभाषित अन्तिम माल एवं सेवाओं का दिए गए समय की अवधि में बाजार मूल्य है एवं यह देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

² स्थिर मूल्य का तात्पर्य आधार वर्ष 2011-12 पर मूल्य है।

1.1.1 राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 अवधि 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है। अवधि 2017-18 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण **परिशिष्ट 1.3** दर्शाता है।

तालिका 1.2: 2013-18 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनुभाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749.24	88,640.78	1,05,510.60	1,23,306.79	1,34,875.39
कर राजस्व	33,552.16	36,567.12	40,213.66	44,193.65	44,810.85
करेतर राजस्व	7,704.99	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.18
संघ करों/शुल्कों का अंश	22,715.27	24,106.99	38,397.84	46,064.10	50,853.07
भारत सरकार से अनुदान	11,776.82	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	35.98	27.73	26.47	24.19	19.35
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	93.22	6,765.05	162.32	772.05	5,069.53
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.44	0.91	1.93	0.01	-0.05
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,540.82	15,068.71	19,985.30	29,847.41	21,892.17
आकस्मिकता निधि	-	300.00	1.08	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ ³	94,811.32	1,10,294.74	1,32,772.19	1,61,078.58	1,71,664.83
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	7,074.81	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66
योग	1,87,307.83	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2013-18 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनुभाग-क: राजस्व					
राजस्व व्यय	69,869.76	82,372.82	99,770.70	1,19,537.37	1,30,246.09
सामान्य सेवाएं	20,590.93	22,365.11	25,700.26	27,903.12	32,100.08
सामाजिक सेवाएं	27,768.21	32,067.15	42,650.93	47,942.43	58,346.17
आर्थिक सेवाएं	16,971.33	23,715.12	25,528.52	36,884.73	32,734.59
सहायतानुदान तथा अंशदान	4,539.29	4,225.44	5,890.99	6,807.09	7,065.24
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य					
पूंजीगत परिव्यय	10,812.52	11,877.68	16,835.47	27,288.31	30,913.22
संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	5,077.52	12,534.61	3,157.91	4,940.27	1,550.20
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.36	0.98	1.94	0.66	-0.01
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	4,004.65	4,920.52	4,860.36	4,925.41	5,776.38
आकस्मिकता निधि	-	301.08	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	93,063.99	1,08,165.30	1,28,336.75	1,58,242.07	1,68,893.44
अन्तिम रोकड़ शेष	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56
योग	1,87,307.83	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³ मुख्य शीर्ष 8009 से 8782 तक को सम्मिलित करते हुए (वित्त लेखे का विवरण पत्रक-21)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां नीचे तालिका 1.4 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.56	17.02	19.03	16.87	9.38
स्थिर मूल्य ⁴ पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	62,934	70,914	81,150	89,726	95,208
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-3.21	12.68	14.43	10.57	6.11
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	17.24	18.46	19.89	19.29	19.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	69,870	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.96	17.89	21.12	19.81	8.96
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	58,050	65,900	76,735	86,983	91,940
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-0.15	13.52	16.44	13.35	5.70
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	15.90	17.16	18.81	18.70	18.42
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	10,813	11,878	16,835	27,288	30,913
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-6.52	9.85	41.73	62.09	13.28
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	8,984	9,503	12,948	19,856	21,821
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-15.88	5.78	36.26	53.36	9.90
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	2.46	2.47	3.17	4.27	4.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2013–14 से तुलना करने पर 2017–18 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

अवधि 2017–18 में बजट में दिए गए मुख्य घटकों, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत राज्य का निष्पादन जिसमें राज्य की वास्तविक उपलब्धि तथा लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए तालिका 1.5 में दिया गया है। लेखों में लेने पर कड़िका 3.14 एवं तालिका 3.12 में तथा इस प्रतिवेदन में उल्लेखित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 1,602 करोड़ अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 949 करोड़ एवं ₹ 929 करोड़ कम बताई गयी हैं।

⁴ वर्तमान मूल्य को स्थिर मूल्य में बदलने के लिए अवस्फीतिकारक (डिफ्लेटर) का प्रयोग किया जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात है (सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर (वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 100)। चर (राजस्व प्राप्ति/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय) को स्थिर मूल्यों पर बदलने के लिए वांछित वर्ष के वर्तमान मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर से विभाजित कर 100 से गुणा किया जाता है।

तालिका 1.5: 2017-18 के दौरान राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण ⁵)	वास्तविक उपलब्धि	वास्तविक जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं		सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.63 प्रतिशत {(+) ₹ 4,596 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.65 प्रतिशत {(+) ₹ 4,629 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.43 प्रतिशत {(+) ₹ 3,027 करोड़}
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत {(-) ₹ 25,689 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत {(-) ₹ 22,745 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.35 प्रतिशत {(-) ₹ 23,694 करोड़}
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.49 प्रतिशत	25.00 प्रतिशत	24.94 प्रतिशत	24.38 प्रतिशत (₹ 1,72,363 करोड़)	24.51 प्रतिशत (₹ 1,73,292 करोड़)

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015-20, 2017-18 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेख 2017-18)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं बजट अनुमान 2017-18 में निर्धारित राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, वास्तविक लेखापरीक्षा द्वारा संगणित राजस्व अधिशेष बजट अनुमान के निर्धारित लक्ष्य से कम था जबकि राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों के कारण लेखापरीक्षा के वास्तविक संगणित आंकड़ों से असहमति व्यक्त की गई।

तथ्य यह है कि निधियों का कम हस्तांतरण, आरक्षित निधियों और जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करने एवं राजस्व तथा पूंजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिमूल्यन एवं राजकोषीय घाटे का अवमूल्यन क्रमशः ₹ 1,602 करोड़ एवं ₹ 949 करोड़ से रहा।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्ति से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

⁵ मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 ⁶	2017-18
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)		9,882	11,352	14,065	27,664	22,745
		(2.26)	(2.36)	(2.59)	(4.32)	(3.22)
1	राजस्व आधिक्य	5,879	6,268	5,740	3,770	4,629
2	निवल पूंजीगत व्यय	-10,777	-11,850	-16,809	-27,265	-30,894
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-4,984	-5,770	-2,996	-4,169	3,520
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान*						
1	बाजार उधारियां	3,572	8,171	12,991	14,551	13,125
2	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	450	536	414	249	824
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,270	1,184	922	1,266	1,348
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	245	258	798	1,590	913
5	आरक्षित निधियां	971	143	1,733	-498	-1,038
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	948	962	1,025	813	680
7	जमा एवं अग्रिम	-490	618	574	3,436	2,316
8	उचंत एवं विविध	32	462	1,457	-842	110
9	प्रेषण	286	-57	-352	-72	704
10	अन्य ⁷	2,598	-925	-5,497	+7,171	3,763
राजकोषीय घाटा		9,882	11,352	14,065	27,664	22,745

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के परिणामी (नेट) हैं
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.1.2.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे⁸ का प्राथमिक राजस्व घाटा⁹ तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों के सहित) में अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई निधियों को किस सीमा तक उपयोग किया गया था। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य का सम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था एवं ऋण (राजकोषीय देयताएं) के एक भाग के लिए कोई सम्पत्ति बैकअप नहीं था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.7) यह दर्शाता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछनीय हो सकता है।

⁶ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर

⁷ आकरिमकता निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन-देन

⁸ प्राथमिक घाटा, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

⁹ प्राथमिक राजस्व घाटा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—यह राज्य के प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय – ब्याज अदायगियों) एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों का अंतर है एवं यह प्रकट करता है कि किस सीमा तक ऋणोत्तर प्राप्तियाँ, राजस्व खाते के अंतर्गत, प्राथमिक व्यय को मिलाने के योग्य हैं।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)


वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा की तुलना में जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	0.79
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	0.89
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974	1.13
2016-17 [#]	1,24,103	1,10,458	27,288	4,942	1,42,688	13,645	-18,585	2.91
2017-18	1,39,964	1,19,201	30,913	1,550	1,51,664	20,763	-11,700	1.65

*अंतर्राज्यीय समायोजन सहित; [#]उदय के प्रभाव को शामिल कर (स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनवेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों को चार्ट 1.1 एवं परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट 2017-18)

- राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान (₹ 1,39,116 करोड़) से ₹ 4,241 करोड़ कम हुई।
- कर राजस्व में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 10,926 करोड़) एवं माल एवं यात्री कर (₹ 2,851 करोड़) के अंतर्गत थी।
- करेत्तर राजस्व में कमी मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,000 करोड़) के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में मुख्यतः कमी सामान्य सेवाएं (₹ 4,600 करोड़) में थी जो सामाजिक सेवाएं (₹ 1,935 करोड़) के अंतर्गत आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 499 करोड़ से कमी थी जो सामाजिक सेवाएं (₹ 1,395 करोड़) में कमी के कारण थी जो आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत ₹ 1,076 करोड़ के आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: 2013-18 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93
2017-18	2,617.70	उपलब्ध नहीं*	—	44,391.09	उपलब्ध नहीं*	—

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित दो योजनाओं में जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी

महिला एवं बाल विकास विभाग (अक्टूबर-नवम्बर 2018) के अभिलेखों की नमूना जांच में योजना 5643 "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को अतिरिक्त मानदेय" तथा 5033 "जबाली योजना (वेश्यावृत्ति उन्मूलन)" में अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान जेण्डर बजट के उपयोग में कमी परिलक्षित हुई। विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: 2013-18 के दौरान योजना 5643 एवं 5033 के अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना 5643			योजना 5033		
	आबंटन	व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)	आबंटन	व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
2013-14	234.50	219.64	6.34	2.49	0.72	71.08
2014-15	290.34	268.62	7.48	1.10	0.93	15.45
2015-16	303.06	290.04	4.30	5.00	0.83	83.40
2016-17	302.96	279.88	7.62	31.91	1.07	96.65
2017-18	339.28	296.57	12.59	4.70	1.73	63.19
योग	1,470.14	1,354.75	7.85	45.20	5.28	88.32

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.9 से देखा जा सकता है कि 2013–18 की अवधि के दौरान योजना 5643 में जेण्डर बजट के उपयोग में 4.30 प्रतिशत से 12.59 प्रतिशत तक की कमी एवं योजना 5033 में 15.45 प्रतिशत से 96.65 प्रतिशत तक की कमी रही।

जेण्डर बजट के उपयोग में कमी के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि योजना 5033 के तहत धनराशि का प्रावधान प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के लिए किया गया था ताकि समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और रोजगार के समान अवसर पैदा किए जा सकें परन्तु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जिला स्तर पर आवंटन नहीं किया जा सका। विभाग ने योजना 5643 के अन्तर्गत उपयोग में कमी के लिए रिक्त पदों को जिम्मेदार ठहराया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि जेण्डर बजट के लिए एक पृथक खण्ड 6 तैयार कर विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें महिलाओं के कल्याण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं सम्मिलित हैं। इसलिए, महिला केंद्रित योजनाओं का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में ठीक प्रकार से हो रहा था। जहाँ तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित विशेष संदर्भ का आशय है उन विभागों को इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

तथ्य यह है कि 2013–18 की अवधि के दौरान योजना 5643 एवं 5033 में जेण्डर बजट के उपयोग में कमी परिलक्षित हुई।


1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित हैं।


चार्ट 1.2, 1.3 एवं 1.4 क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, 2013–18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2017–18 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: 2017-18 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना




(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)

चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)


1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में चित्रित भी की गई हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व की औसत वृद्धि दर सात प्रतिशत थी। 2013-14, 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व की संवृद्धि दर क्रमशः 10 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, चार प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत थी। 2013-14 में राज्य के कुल राजस्व में स्वयं के करों का अंश का 44.29 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 33.22 प्रतिशत हो गया। 2017-18 में स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर में कमी के कारण संवृद्धि दर एक प्रतिशत थी, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर में शामिल किया गया था। कर संग्रहण में कर्मियों को भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 2,511 करोड़) से क्षतिपूर्ति की। यदि भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति को राज्य के स्वयं के राजस्व में शामिल किया जाता है तो संवृद्धि दर छः प्रतिशत होगी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 11,568 करोड़; नौ प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 6,187 करोड़; 26 प्रतिशत) एवं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई निवल प्राप्तियों (₹ 4,789 करोड़; 10 प्रतिशत) के कारण थी।

1.2.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है जिसमें केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं होता है जो कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है।

वर्ष 2013-18 के लिए कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में प्रस्तुत किया गया है। इनमें 2013-14 में ₹ 41,257 करोड़ से 2017-18 में ₹ 53,872 करोड़, कुल ₹ 12,615 करोड़ (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कर राजस्व

2013-18 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	8,696
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907	6,696	7,923	7,533	8,245
वाहन कर	1,599	1,824	1,933	2,252	2,692
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400	3,893	3,868	3,925	4,789
भू-राजस्व	366	243	277	407	491
माल तथा यात्री पर कर	2,579	2,686	3,085	3,805	1,159
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,972	2,010	2,258	2,621	2,590
अन्य कर*	1,079	1,079	1,064	1,090	1,165
योग	33,552	36,567	40,214	44,194	44,811
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व	7.63	7.62	7.58	6.91	6.34

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* अन्य करों में कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 644 करोड़), आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 342 करोड़), एवं माल एवं सेवाओं पर शुल्क (₹ 179 करोड़) सम्मिलित है

- वर्ष 2017-18 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पड़ोसी राज्यों जैसे झारखण्ड (4.84 प्रतिशत), गुजरात (5.42 प्रतिशत), राजस्थान (6.02 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (6.82 प्रतिशत) एवं उत्तर प्रदेश (7.08 प्रतिशत) की तुलना में 6.34 प्रतिशत था।
- जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में, 2017-18 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में केवल 1.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत सरकार ने माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुए नुकसान भरपाई हेतु ₹ 2,511 करोड़ का सहायता अनुदान दिया। यदि भारत सरकार से प्राप्त नुकसान भरपाई को स्वयं के कर राजस्व में जोड़ लिया जाये तो वृद्धि 7.08 प्रतिशत होगी।
- 2016-17 में संग्रहित राजस्व ₹ 26,366 करोड़ की तुलना में 2017-18 के दौरान माल एवं सेवा कर में समाहित करों से राजस्व आय ₹ 27,350 करोड़ (₹ 2,511 करोड़ की नुकसान भरपाई सहित) हुई।

करेत्तर राजस्व

2013-18 के दौरान करेत्तर राजस्व से प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: करेत्तर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अलौह खनिज एवं धातु	2,306	2,814	3,060	3,168	3,641
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,008	3,276	1,292	1,824	1,310
वन एवं वन्य जीवन	1,037	969	1,002	918	1,112
ब्याज प्राप्तियाँ	318	1,261	429	582	639
लाभांश एवं लाभ	379	80	130	231	622
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,657	1,975	2,656	2,363	1,737
योग	7,705	10,375	8,569	9,086	9,061

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.2 संग्रहण लागत

2017-18 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: संग्रहण लागत

विवरण	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	विगत वर्ष का अखिल भारतीय औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,984.04	182.34	1.22	0.69
वाहन कर	2,691.62	49.91	1.85	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	8,245.01	118.80	1.44	2.01
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,788.51	77.80	1.62	2.99

(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के सापेक्ष मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में अखिल भारतीय कर के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद (राज्य बिक्री

कर के अधीन प्राप्तियाँ) का अनुपात भी अधिक अनुपात इंगित करता है जो कि नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: बिक्री, व्यापार आदि पर कर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ करोड़ में)	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984
बिक्री, व्यापार आदि पर कर /मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ) का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01

2013-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के विवरण तालिका 1.14 में नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.14: बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट अनुमान	16,500	19,500	21,300	22,000	25,910
वास्तविक आंकड़े	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएँ)

जुलाई 2017 से प्रभावी माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण, 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का वास्तविक संग्रह बजट अनुमान से ₹ 10,926 करोड़ कम हो गया। राज्य माल एवं सेवा कर में बिक्री, व्यापार आदि के करों में से कुछ कर सम्मिलित कर दिए गए। 2017-18 के दौरान, राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 8,696 करोड़ थी।

1.2.2.3 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	3,540	4,425	3,990	5,473	4,408
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,536	9,011	13,371	17,702	23,164
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	153	1,263	359	257	67
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,548	2,893	610	531	-
राज्य को अन्य अनुदान ¹⁰	-	-	-	-	2,511
योग	11,777	17,592	18,330	23,963	30,150
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	(-) 2.18	49.38	4.19	30.73	25.82
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	15.55	19.85	17.37	19.43	22.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹⁰ माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि के लिये प्रतिपूर्ति

1.2.2.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को अंतरण का विवरण तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16: केन्द्रीय कर/शुल्क अंतरण में प्रवृत्तियाँ

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	22,715	24,107	38,398	46,064	50,853
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	716
समन्वित माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	5,132
सेवा कर	3,701	3,554	6,656	7,434	5,795
निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,030	6,011	8,400	10,252	13,147
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,618	2,202	5,100	7,246	5,363
निगम कर	7,639	8,418	12,078	14,752	15,569
सम्पत्ति पर कर	21	23	3	34	0
सीमा शुल्क	3,706	3,899	6,134	6,346	5,131
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	0	27	0.13	0

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.5 विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना

31 मार्च 2018 को खनन विभाग और पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिए गए प्रकरण और अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगों का विवरण तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: कर अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2017-18 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31 मार्च 2018 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ में)	
खनन	2,260	16,139	18,399	14,739	43.76	3,660
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,629	9,249	25,878	12,525	93.06	13,353
योग	18,889	25,388	44,277	27,264	136.82	17,013

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

1.2.3 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

अवधि 2013-18 के दौरान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.18 में दी गई हैं:

तालिका 1.18: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,672	21,863	20,175	30,643	26,981
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ	131	6,794	190	796	5,089
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	36	28	26	24	19
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	-	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	93	6,765 ¹¹	162	772 ¹²	5,070 ¹³
लोक ऋण प्राप्ति	9,541	15,069	19,985	29,847	21,892
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	79.45	5,086.26	(-97.20)	318.95	539.32
पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.12	126.04	(-7.72)	51.89	(-11.95)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है:

तालिका 1.19: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार उधारियाँ	5,000	10,300	14,700	16,100	15,000
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,332	1,483	2,075	2,602	2,101
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	-	7,360	-
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,996	1,914	1,884	2,518	2,874

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों की अपेक्षा उधारियों पर अदा किए गए ज्यादा ब्याज दर के प्रभाव पर कड़िका 1.4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.2.3.2 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	1,212	1,372	1,326	1,267	1,917

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्ति

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियों इत्यादि के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण

¹¹ इसमें से ₹ 6,694 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

¹² इसमें से ₹ 507 करोड़ कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

¹³ इसमें से ₹ 4,622 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

पत्रक 21 में दर्शाई गई है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखे (निवल)	1,747	2,130	4,435	2,837	2,772
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	948	963	1,024	813	680
(ख) आरक्षित निधि	971	144	1,733	(-498)	(-1,038)
(ग) जमा एवं अग्रिम	(-490)	618	574	3,436	2,316
(घ) उचंत एवं विविध	32	462	1,457	(-842)	110
(ङ) प्रेषण	286	(-57)	(-353)	(-72)	704

(₹ करोड़ में)


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों के प्रभाव पर कड़िका 1.5.2 में चर्चा की गई है।


1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

2013-18 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.22 में दिया गया है:

तालिका 1.22: राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	69,870	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246
राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.96	17.89	21.12	19.81	8.96

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016-17 की तुलना में 2017-18 में राजस्व व्यय में ₹ 10,709 करोड़ (नौ प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मुख्यतः जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 6,135 करोड़ से) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,510 करोड़ से) तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 1,617 करोड़ से) के अन्तर्गत थी।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है:

तालिका 1.23: पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत व्यय	10,813	11,878	16,835	27,288	30,913
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)6.52	9.85	41.73	62.09	13.28
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	2.46	2.47	3.17	4.27	4.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो राजस्व आधिक्य के पूंजीगत व्यय में उपयोग को प्रकट करता है। 2013-14 में पूंजीगत व्यय ₹ 10,813 करोड़ था जो कि 286 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2017-18 में ₹ 30,913 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 2013-14 में 2.46 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 4.37 प्रतिशत हो गया।
- पूंजीगत व्यय में 2017-18 में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,625 करोड़ (13 प्रतिशत) से वृद्धि ऊर्जा (₹ 2,813 करोड़ से) के कारण हुई।
- पूंजीगत व्यय में 2015-16 में वृद्धि मुख्यतः वृहद् सिंचाई (₹ 2,020 करोड़ से) के कारण हुई। आगे, 2016-17 में वृद्धि ऊर्जा (₹ 4,117 करोड़ से) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,097 करोड़ से) के कारण हुई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पड़ोसी राज्यों गुजरात (1.99 प्रतिशत), राजस्थान (2.45 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (3.43 प्रतिशत) एवं झारखण्ड (4.68 प्रतिशत) की तुलना में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 4.37 प्रतिशत था।

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 11,045 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 24,026 करोड़), पेंशन (₹ 9,290 करोड़) एवं राजसहायता (₹ 19,381 करोड़) शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 63,742 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है एवं इसमें राजस्व व्यय (₹ 1,30,246 करोड़) का 49 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ।

तालिका 1.24 में अवधि 2013-18 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियाँ

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	18,361 (24.24)	19,997 (22.56)	20,554 (19.48)	21,577 (17.50)	29,424 (21.15)	24,026 (17.81)
ब्याज भुगतान	6,391 (8.44)	7,071 (7.98)	8,091 (7.67)	9,079 (7.36)	11,541 (8.36)	11,045 (8.19)
पेंशन भुगतान	5,932 (7.83)	6,836 (7.71)	7,819 (7.41)	8,793 (7.13)	12,369 (8.89)	9,290 (6.89)
राजसहायता	6,567 (8.67)	9,954 (11.23)	11,725 (11.11)	16,512 (13.39)	17,813 (12.80)	19,381 (14.37)
कुल	37,251 (49.18)	43,858 (49.48)	48,189 (45.67)	55,961 (45.38)	71,147 (51.14)	63,742 (47.26)

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े)

पेंशन भुगतान

वर्ष 2017-18 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 9,290.25 करोड़ था, जिसमें से ₹ 8,861.44 करोड़, 31 दिसंबर 2004 को या इससे पूर्व भर्ती हुए राज्य कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर खर्च हुए और शेष ₹ 428.81 करोड़ शासकीय अंशदान पर, 01 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए खर्च हुए।

राजसहायताएं

2017-18 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभाग/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। वर्ष के दौरान राशि ₹ 19,381 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत था। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गई वे ऊर्जा गतिविधियां: ₹ 9,484 करोड़ (49 प्रतिशत), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹ 3,950 करोड़ (20 प्रतिशत) एवं सहकारिता गतिविधियां: ₹ 1,473 करोड़ (आठ प्रतिशत) के अंतर्गत थीं।

1.3.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा अंतरित की जाती है। एन.पी.एस. की शुरुआत के समय कर्मचारियों के अंशदान एवं शासन के अंशदान को मध्यप्रदेश शासन ने शीर्ष 8342-117-अन्य जमा परिभाषित पेंशन योजना के अंतर्गत जमा किया एवं 30 सितम्बर 2009 तक इसका पालन किया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 अक्टूबर 2009 से मध्य प्रदेश शासन ने कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071 500 'अन्य लघु शीर्षों के अंतरण के लिये प्रतीक्षित प्राप्तियाँ', शासकीय अंशदान, शीर्ष 2071-117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना शासकीय अंशदान से नामे किया एवं बाद में

शासकीय अंशदान शीर्ष 0071 – 500 'अन्य लघु शीर्ष के अंतरण के लिये प्रतीक्षित प्राप्तियाँ' में अंतरित कर वर्गीकृत किया।

1.3.5.1 लेखापरीक्षा के दौरान वेतन/बकाया से सरकारी कर्मचारियों के एन.पी.एस. अंशदान में कटौती में विसंगतियां

मध्य प्रदेश में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) के कुल 314 कार्यालयों में से 78 बी.ई.ओ. की लेखापरीक्षा की गई। 78 बी.ई.ओ. की लेखापरीक्षा के दौरान 260 विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई जहाँ पर लेखापरीक्षा ने चार¹⁴ बी.ई.ओ. के 20 विद्यालयों (लेखापरीक्षित विद्यालयों का 7.69 प्रतिशत) में एन.पी.एस. का कटौती होना नहीं पाया गया। विवरण तालिका 1.25 के खण्ड क में दिया गया है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 133 वन कार्यालयों (एफ.ओ.) में से 63 एफ.ओ. की लेखापरीक्षा की गई। चार¹⁵ एफ.ओ. कार्यालय (कुल चयनित वन कार्यालयों के 6.35 प्रतिशत) में राज्य शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों के बकाया से एन.पी.एस. के अंशदान में कटौती की विफलता के प्रकरण प्रकाश में आए। विवरण तालिका 1.25 के खण्ड ख में दिया गया है।

तालिका 1.25: वेतन एवं मंहगाई भत्ते के बकायों से कर्मचारी अंशदान की नहीं की गई कटौती के नमूना जाँच प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संस्थान का नाम	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	एन.एस.डी. एल. को अंतरित नहीं की गई राशि
(क) वेतन से कर्मचारियों के अंशदान की कटौती न करना					
(अ) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव माखन, खंडवा					
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव, खण्डवा	27	8.83	8.83	17.66
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिचगोहन, खंडवा	21	6.69	6.69	13.38
3.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंडवा	13	5.09	5.09	10.18
योग (अ)		61	20.61	20.61	41.22
(ब) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाह					
1.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,	15	3.93	3.93	7.86
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डरगौन	9	6.91	6.91	13.82
3.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बमहौरी	32	9.46	9.46	18.92
4.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बक्सवाह	8	3.25	3.25	6.50
5.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बजना	3	1.22	1.22	2.44
योग (ब)		67	24.77	24.77	49.54
(स) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलदेवगढ़					
1.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हटा	36	5.83	5.83	11.66
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देरी	27	8.26	8.26	16.52
3.	शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरगापुर	45	11.35	11.35	22.70
4.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलदेवगढ़	31	8.20	8.20	16.40
योग (स)		139	33.64	33.64	67.28
(द) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़					
1.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मवाई	14	5.90	5.90	11.80
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अजनोर	34	10.22	10.22	20.44

¹⁴ 1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव माखन, खंडवा, 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाह, 3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलदेवगढ़, टीकमगढ़, 4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़

¹⁵ 1. संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सिवनी, 2. संभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी छिंदवाड़ा, 3. क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, 4. संभागीय वन अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा

स. क्र.	संस्थान का नाम	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	एन.एस.डी. एल. को अंतरित नहीं की गई राशि
3.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,	2	1.29	1.29	2.58
4.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, क्रमांक 2	5	1.39	1.39	2.78
5.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्तौन	11	3.39	3.39	6.78
6.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुण्डेश्वर	18	5.57	5.57	11.14
7.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुढ़ेरा	17	5.42	5.42	10.84
8.	शासकीय बुनियादी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टीकमगढ़	34	9.57	9.57	19.14
9.	शंकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पठा	8	3.18	3.18	6.36
योग (द)		143	45.93	45.93	91.86
योग (क)		410	124.95	124.95	249.90
(ख) महंगाई भत्तों के बकाया से कर्मचारियों के अंशदान की कटौती न करना					
1.	संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सिवनी	71	1.38	1.38	2.76
2.	क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी	69	3.43	3.43	6.86
3.	संभागीय वन अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा	80	0.45	0.45	0.90
4.	संभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी छिंदवाड़ा	111	13.04	13.04	26.08
		108	2.97	2.97	5.94
योग (ख)		439	21.27	21.27	42.54
महायोग (क + ख)		849	146.22	146.22	292.44

(स्रोत: संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं वन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी)

तालिका 1.25 से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:-

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने 410 राज्य शासकीय कर्मचारियों जो एन.पी.एस. के अंतर्गत थे उनकी नियुक्ति से न तो कर्मचारी अंशदान के ₹ 1.25 करोड़ की उनके वेतनों से कटौती की और न ही राज्य शासन ने समरूप राशि का अंशदान किया।

इसके बारे में पूछे जाने पर, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाहा एवं बलदेवगढ़ ने उत्तर दिया कि अंशदानों की कटौती स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (प्रान) की प्राप्ति नहीं होने के कारण नहीं की जा सकी जबकि, खंड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया कि प्रान के आवेदन के लिये कार्यवाही की गयी है तथा प्रान के आवंटन पश्चात् नियमानुसार अंशदानों का कटौती किया जाएगा।

- आगे, वन अधिकारी भी 439 कर्मचारियों के महंगाई भत्तों के बकाया से ₹ 21.27 लाख की लागत के एन.पी.एस. अंशदान की कटौती करने में विफल रहें।

महंगाई भत्तों के बकायों से कर्मचारी अंशदान की कटौती में विफलता के बारे में पूछे जाने पर क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व सिवनी एवं वन मण्डल अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया कि बकायों से एन.पी.एस. अंशदान की कटौती के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है। वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण सिवनी ने बताया कि एन.पी.एस. अंशदान की सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः वेतन से कटौती हो जाती है, परन्तु महंगाई भत्तों के बकायों से एन.पी.एस. अंशदान की कटौती के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, चूंकि एन.पी.एस. के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि एन.पी.एस. के अंतर्गत कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे। इस प्रकार 849 कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ₹ 1.46 करोड़ का कटौती किये जाने में विफल रहने के कारण कर्मचारी एन.पी.एस. के लाभ से वंचित रहे एवं इसके परिणामस्वरूप एन.एस.डी.एल. को भी ₹ 2.92 करोड़ का कम अन्तरण हुआ।

1.3.5.2 वित्तीय लेखों के आधार पर एन.पी.एस.का विश्लेषण

2010–11 से 2017–18 की अवधि से संबंधित वित्तीय लेखों पर आधारित एन.पी.एस. के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) के अनुसार लेखाशीर्ष 8342–117–अन्य जमा–परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कोई भी अंशदान अस्थायी तौर भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2018 को ₹ 20.49 करोड़ की राशि, उपरोक्त शीर्ष में रखी है। इसके फलस्वरूप, ब्याज सहित शेषों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंतरित करना शेष रहा।
- 2010–11 से 2017–18 के दौरान कर्मचारी अंशदान के ₹ 1,590.17 करोड़ के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा वास्तविक अंशदान ₹ 1,731.22 करोड़ किया गया।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुल अंशदान ₹ 3,321.38 करोड़ (2010–11 से 2017–18 की अवधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान एवं शासन का अंशदान) के विरुद्ध केवल ₹ 3,203.56 करोड़ अंतरित किया गया एवं शेष राशि ₹ 117.82 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गई।
- 2017–18 के दौरान शासन ने कुल अंशदान ₹ 821.45 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 801.63 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2017–18 के लिए ₹ 19.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया। कम अंतरण निश्चित रूप से एन.पी.एस. कोष का दिवालियापन और योजना की विफलता का कारण बन जायेगा।

इस प्रकार सरकार के अंश सहित संपूर्ण अंशदान को एन.एस.डी.एल. को अंतरण करने में असफल होने के कारण राज्य सरकार की देयताओं में वृद्धि हुई।

अनुशंसा: राज्य शासन को अंशदान का कटौती न किए जाने के कारणों की जांच किया जाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, शासन पूर्णरूप से समरूप अंशदान करता है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल. को अंतरित की जाती है। एन.एस.डी.एल. को अंतरण में विलंब होने के मामले में कम से कम सामान्य भविष्य निधि दर का ब्याज अंशदाता के खाते में जमा किया जाए। एन.पी.एस. अंशदान की कटौती न करना या इसका अंतरण (राज्य शासन के अंशदान के साथ) न किया जाना न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है, यह योजना को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

1.3.6 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्यतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने को पर्याप्त प्रावधान), उपयोगित व्यय की दक्षता और प्रभावशीलता (परिव्यय का आकलन–सेवाओं के लिए परिणाम संबंध)।

1.3.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2013–14 एवं 2017–18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.26** में किया गया है।

तालिका 1.26: 2013-14 एवं 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय# / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	14.70	66.50	37.60	28.90	13.60	17.20	4.50
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2013-14	19.51	70.46	34.67	35.79	12.61	16.14	4.02
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.10	67.90	36.70	29.60	14.40	15.50	4.90
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2017-18	23.01	75.38	39.28	36.10	19.00	14.54	3.94
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा सवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।							

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-18 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर उच्च था।

1.3.7 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.27 में दिया गया है:

तालिका 1.27: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2016-17			2017-18		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
कुल (सामाजिक सेवाएं)	6.40	11,461	406	8.38	12,565	429
कुल (आर्थिक सेवाएं)	35.83	3,360	1,503	42.25	3,842	1,250
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	22.85	14,821	1,909	24.60	16,408	1,679
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.36	7,490	26	2.82	8,232	28
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	9.51	2,602	12	13.96	2,828	19
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	9.02	315	359	11.91	323	363
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.85	1,054	9	10.35	1,183	19
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.69	2,099	13	3.18	2,424	16
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	92.49	586	72	92.51	660	74
विद्युत तथा ऊर्जा	22.98	1	6	36.84	1	19
परिवहन	78.96	76	777	85.31	82	490
अन्य आर्थिक सेवाएं	27.48	598	635	20.98	676	651

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2016-17 एवं 2017-18)

1.4 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारता के आकलन हेतु किया था। 2013-18 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.28 में दर्शित है।

तालिका 1.28: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली स्थिति

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	तेरहवें वित्त आयोग (2010-15)/चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) के लागत वसूली आकलन	राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में	
2013-14	358	779	60	46
2014-15	437	839	75	52
2015-16	483	625	35	77
2016-17	574	680	35	84
2017-18	524	637	35	82

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

उपरोक्तानुसार देखा गया कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली 2013-14 तथा 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से कम था। यद्यपि, 2015-16 से इसमें सुधार हुआ है, 2015-18 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान से अधिक था।

1.4.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2018 तक, सरकार ने 43 सरकारी कंपनियों (₹ 20,521.26 करोड़), 33 सांविधिक निगमों (₹ 8,760.96 करोड़), 130 सहकारी संस्थाओं (₹ 254.93 करोड़), 23 संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी (₹ 0.11 करोड़) में ₹ 29,537.26 करोड़ निवेश किया।

2013-18 के दौरान निवेशों पर प्रतिलाभ/प्राप्त ब्याज की स्थिति तालिका 1.29 में दी गई है।

तालिका 1.29: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश* (₹ करोड़ में)	14,199	15,029	15,524	21,827	29,537
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	378.72	80.35	129.64	231.50	622.36
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	2.67	0.53	0.83	1.06	2.11
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर ¹⁶ (प्रतिशत)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	4.17	6.35	6.03	5.36	4.62

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(* 31 मार्च 2018 को वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश शामिल नहीं है)

2017-18 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 2.11 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.73 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, इन संस्थानों में सरकार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था, बल्कि लोकहित को देखना था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेकों को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा रही है। विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है

¹⁶ ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

तालिका 1.30: राज्य सरकार द्वारा बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान
(₹ करोड़ में)

कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की प्रमात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	27,088	32,072	37,842	40,827¹⁷	44,989¹⁸
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,077	12,535	3,158	4,941	1,550
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	93	6,765	162	772	5,070
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	32,072	37,842	40,838	44,996	41,469
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	4,984	5,770	2,996	4,169	(-) 3,520
ब्याज प्राप्तियाँ	12	1,058	139	62	97
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.04	2.80	0.34	0.14	0.23
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.80	4.08	6.52	6.28	6.50

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान 6.73 प्रतिशत की दर से उधार पर दिये गये औसत ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.23 प्रतिशत थी।

सरकार द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के अनुभाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।

1.4.4 मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को वित्तीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को सामान्य कर्ज, पूंजीगत कर्ज, कार्यकारी पूंजीगत कर्ज तथा लघु अवधि कार्यकारी पूंजीगत कर्जों इत्यादि के रूप में दी गई वित्तीय सहायताओं की स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के कर्जों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (कम्पनी) के अभिलेखों की समीक्षा (अक्टूबर 2018) की।

2013-14 से 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को संवितरित किए गए कर्जों का विवरण तालिका 1.31 में दिया गया है।

¹⁷ छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में ₹ 10.21 करोड़ की कमी हुई।

¹⁸ छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में ₹ 6.74 करोड़ की कमी हुई।

तालिका 1.31: 2013–18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सवितरित किए गए कर्जों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की प्रमात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	कम्पनी को दिए गए कर्ज का प्रारम्भिक शेष	6,596.25	8,060.86	10,049.80	11,103.17	12,029.16
2	वर्ष के दौरान कम्पनी को दिया गया कर्ज	1,464.61	4,518.16	1,053.37	925.99	215.24
3	सतत कर्ज में परिवर्तित मध्य प्रदेश शासन के कर्ज पर ब्याज	0.00	427.88	0.00	0.00	0.00
4	सतत कर्ज में परिवर्तित मध्य प्रदेश शासन का कर्ज	0.00	2,957.10	0.00	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उदय के अंतर्गत इक्विटी/अनुदान में परिवर्तित कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.37
7	अंतिम शेष (1+2+3-4-5-6)	8,060.86	10,049.80	11,103.17	12,029.16	10,662.03
8	निवल संयोजन (7-1)	1,464.61	1,988.94	1,053.37	925.99	-1,367.13
9	कम्पनी द्वारा कर्जों पर किया गया ब्याज भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

मध्य प्रदेश शासन ने वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2012 के दौरान वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ.आर.पी.) आरंभ की। एफ.आर.पी. के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2011 की स्थिति में कंपनी द्वारा देय बकाया कर्ज एवं ब्याज की राशि ₹ 3,315.20¹⁹ करोड़ को, 31 मार्च 2014 तक तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित सतत कर्ज में परिवर्तित किया।

मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2015 के दौरान एफ.आर.पी. को पुनः बढ़ाया तथा कंपनी द्वारा देय के बकाया कर्ज एवं ब्याज की राशि ₹ 3,384.98²⁰ करोड़ को 31 मार्च 2017 तक के तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित सतत कर्ज में परिवर्तित किया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी को 31 मार्च 2014 (यथा एफ.आर.पी. की विस्तारित अवधि) के पश्चात् विभिन्न कर्जों के रूप में ₹ 4,183.54²¹ करोड़ का कर्ज वितरित किया था, जो कि मध्य प्रदेश शासन को पुनर्भुगतान किए जाने थे, किंतु कंपनी ने मार्च 2018 तक मध्य प्रदेश शासन को किसी भी राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया था। तथापि, 2017-18 के दौरान, उदय के अंतर्गत ₹ 1,582.37 करोड़ के कर्ज को इक्विटी/अनुदान में परिवर्तित किया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2014 से मार्च 2018 के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर ₹ 2,601.17 करोड़ की कर्ज की राशि कंपनी से बिना वसूली के पड़ी हुई थी।
- इसके अतिरिक्त, विस्तारित एफ.आर.पी. (मार्च 2015) के अनुसार ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि मार्च 2017 तक थी तथा बकाया कर्ज

¹⁹ इसमें ₹ 2,911.69 करोड़ कर्ज के एवं ₹ 403.51 ब्याज के सम्मिलित है।

²⁰ इसमें ₹ 2,957.10 करोड़ कर्ज के एवं ₹ 427.88 ब्याज के सम्मिलित है।

²¹ ₹ 2,957.10 करोड़ की कर्ज में वृद्धि को छोड़कर एवं ₹ 427.88 करोड़ के ब्याज को शामिल कर यह स्थायी ऋण में परिवर्तित हुआ।

पर ब्याज अप्रैल 2017 एवं उसके पश्चात से देय थी किंतु कंपनी ने 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को कर्ज पर ब्याज की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सतत कर्ज पर ब्याज के ₹ 834.63 करोड़ की राशि अदत्त पड़ी रही। इसके अलावा, मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 728.46²² करोड़ का ब्याज भी अदत्त पड़ा हुआ था।

- मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम से लिए गए विभिन्न कर्जों के लिए भी प्रत्याभूति प्रदान की थी। इन प्रत्याभूतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन कम्पनी से प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी था, किंतु कंपनी ने मध्य प्रदेश शासन को किसी भी प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी से प्रत्याभूति शुल्क की राशि ₹ 95.45²³ करोड़ बिना वसूली के पड़ी हुई थी।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि कंपनी से बिना वसूली के पड़ी हुई राशि ₹ 2,601.17 करोड़ को सतत कर्ज में परिवर्तित कर दिया गया था। ब्याज के भुगतान न करने के संबंध में, ऊर्जा विभाग ने नई एफ.आर.पी. के अंतर्गत अधिस्थगन प्रस्तावित किया, जो कि विचाराधीन था।

1.4.5 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2018 तक प्रारम्भ की गई 197 सार्वजनिक निजी भागेदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 23,643.69 करोड़) में से, ₹ 9,713.56 करोड़ लागत की 101 परियोजनाओं (51.27 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,096.33 करोड़ लागत वाली 42 परियोजनाओं (21.32 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 5,833.80 करोड़ लागत वाली 54 परियोजनाएं (27.41 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण **परिशिष्ट 1.7** में दिया गया है।

1.4.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.32 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य शासन द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 52.99	(-) 693.65
पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--
कुल	(-) 52.99	(-) 693.65
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	10,628.22	7,412.19
कुल (अ)	10,575.23	6,718.54
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	1.18	(-) 0.23

²² 1. एस.एस.टी.डी./टी.एस.पी./एस.सी.एस.पी. कर्ज के ₹ 131.39 करोड़, 2. आई.पी.डी.एस. कर्ज के ₹ 2.32 करोड़, 3. ए. डी.बी. कर्ज के ₹ 164.97 करोड़, 4. कार्यशील पूंजी कर्ज के ₹ 429.78 करोड़

²³ 1. 2015-16 तक के ₹ 73.97 करोड़, 2. 2016-17 के लिये ₹ 18.48 करोड़, 3. 2017-18 के लिए तीन करोड़

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
स्थायी पेशगी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	416.42	416.42
कुल (ब)	418.43	417.02
महायोग (अ)+(ब)	10,993.66	7,135.56

(स्रोत: 2016-17 एवं 2017-18 के वित्त लेखे)

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को नवीन उधारी लेने से पहले अपने मौजूदा वृहद् नकदी शेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

31 मार्च 2017 को निवेश लेखे में रोकड़ शेष ₹ 10,628 करोड़ था जो 31 मार्च 2018 तक घटकर ₹ 7,412 करोड़ हो गया। 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 10,628 करोड़ और ₹ 7,412 करोड़ का रोकड़ शेष होने के बावजूद राज्य सरकार ने इन वर्षों में क्रमशः ₹ 16,100 करोड़ और ₹ 15,000 करोड़ की बाजार उधारी ली।

अनुशंसा: राज्य शासन को (i) इस बात की जांच करनी चाहिए कि ब्याज की ऊंची दरों पर धनराशि उधार लेना आवश्यक है या नहीं, जब उनके साथ उपलब्ध बड़ी रोकड़ शेष ब्याज की कम दरें अर्जित करें (ii) आवश्यकता आधारित उधार की नीति को अपनाएं और न्यूनतम रोकड़ शेष संतुलन बनाए रखें।

1.5 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.5.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

यद्यपि विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन प्रस्तुत नहीं करती है, तथापि सरकारी लेखे वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 को समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार **परिशिष्ट 1.8** प्रस्तुत करता है। जबकि देयताओं के अंतर्गत मुख्यतः आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ निहित होती हैं, परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय एवं राज्य शासन द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित होते हैं।

1.5.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

राज्य शासन के लेखों में 10 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण **परिशिष्ट 1.9** में दिया गया है एवं **तालिका 1.33** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.33: 2015-18 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक शेष	2015-18 के दौरान प्राप्तियाँ	2015-18 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
सब्याज आरक्षित निधियाँ							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	00	10,246.44	5,81,089.00	5,14,289.00	10,246.44 ²⁴
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ							
1	8223-सूखा राहत निधि	01	00	585.07	13.08	00	598.15
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	00	01	463.58	00	00	463.58
3	8228- राजस्व आरक्षित निधि	01	00	2,289.10	120.17	00	2,409.27
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	01	5,85,964.44	2,85,305.26	3,33,858.12	5,37,411.58
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	2.21	1420.72	1420.72	2.21
कुल		07	03	5,99,550.84	8,67,948.23	8,49,567.84	5,51,131.23²⁴
या ₹ 5,511.31 करोड़							

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015-18 के दौरान ₹ 5.04 करोड़ वाली तीन²⁵ आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गई थीं। तीन²⁶ अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, कम से कम विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

मुख्य शीर्ष 8223-102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को दर्शित ऋणात्मक निवेश ₹ 5.34 लाख शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पुस्तकीय त्रुटि है और इसे शेष को बट्टे खाते में डाला जाना प्रक्रियाधीन है।

आरक्षित निधि 8229-विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े हुए ₹ 5,374 करोड़ में से केवल ₹ 0.07 करोड़ 31 मार्च 2018 के अंत में निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के तारतम्य में यह बताया जाना है कि आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करती है यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूंकि निवेश इत्यादि के माध्यम से कोई वास्तविक रोकड़ वहिर्प्रवाह नहीं था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित निधि के सापेक्ष बिना किसी निवेश के इन लेन-देनों का चित्रण मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि थी। उसका एकमात्र प्रभाव तब होगा जब इसका उपयोग आरक्षित निधियों में अंतरण के वर्षों में राजकोषीय घाटे की अतियुक्ति एवं राजस्व अधिशेष की न्यूनोक्ति के द्वारा भविष्य के वर्षों में कोई अनुचित हितकारी राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे की स्थिति को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक जमा को प्रभावित किए बिना आरक्षित निधियों में लेन-देनों को मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि

²⁴ प्रोफार्मा सुधार के कारण अन्त शेष ₹ 66,800 लाख कम हो गया

²⁵ 1. 8226-102, सरकारी गैर वाणिज्यिक विभागों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि, 2. 8229-103-कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ, 3. 8235-200- अन्य निधियाँ

²⁶ 1. राजस्व आरक्षित निधियाँ, 2. कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ, 3. अन्य निधियाँ

के रूप में मानना आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

तथापि इन शेषों का वर्षों तक बकाया पड़े रहना राज्य की वृहद् देयता को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

1.5.2.1 समस्त कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है।

तथापि राज्य शासन ने, पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड से भिन्न समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य शासन ने 2017-18 में ₹ 779 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,55,800.12 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इससे ₹ 779 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि निक्षेप निधि की स्थापना का निर्णय प्रतीक्षित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।

1.5.2.2 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार ग्रहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, द्वारा चूक होने की स्थिति में आवश्यक होती है। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य शासकीय प्रत्याभूति नियम 2009 (यथा संशोधित) अधिसूचित किया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। 2017-18 के दौरान वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियां एवं कुल बकाया प्रत्याभूतियां, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²⁷ के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर थीं।

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 9 में दर्ज अनुसार राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियों और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 1.34** में दी गई हैं।

²⁷ 2016-17 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,23,307 करोड़) का 80 प्रतिशत: ₹ 98,646 करोड़, 2017-18 हेतु वार्षिक संवृद्धि प्रत्याभूतियां: ₹ 14,003 करोड़

तालिका 1.34: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	40,171	40,395	31,653
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,511	1,23,307	1,34,875
वर्ष के अंत में प्रत्याभूतियों की बकाया राशि (ब्याज सहित)	27,530	33,397	14,003
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	38.07	32.76	23.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक विद्युत क्षेत्र की छह²⁸ इकाईयां (₹ 9,533 करोड़), सहकारी क्षेत्र का एक²⁹ संस्थान (₹ 5,851 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के छह³⁰ संस्थान (₹ 4,171 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच³¹ संस्थान (₹ 10,798 करोड़) एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम (₹ 1,300 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी पर प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्य राशि ₹ 76.19 करोड़ में से ₹ 25.96 करोड़ (34.07 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। तथापि, दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। शेष नौ संस्थानों, जिन पर ₹ 4,178.10 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी, ने निर्धारित³² प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण तालिका 1.35 में दिया गया है।

²⁸ 1. मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

²⁹ 1. क्रेडिट सहकारिता

³⁰ 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद, 6. मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

³¹ 1. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, 3. मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 4. लोक निर्माण विभाग, 5. उच्च शिक्षा

³² एक वर्ष के लिये प्रत्याभूति— एक प्रतिशत, एक वर्ष से अधिक तीन वर्ष तक — 2.5 प्रतिशत, तीन वर्ष से अधिक पाँच वर्ष तक — चार प्रतिशत, पाँच वर्ष से अधिक दस वर्ष तक— 7.5 प्रतिशत एवं 10 वर्ष से अधिक — 10 प्रतिशत

तालिका 1.35: 2017–18 के दौरान प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	संस्थान का नाम	प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क
1	मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	0.10	18.46
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	36.48	--
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	3.00	--
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	23.05	--
5	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2.50	--
6	नगर निगम	1.47	--
7	नगर पालिका	0.94	--
8	राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण	0.04	7.50
9	नगर परिषद	0.31	--
10	मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	8.08	--
11	मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	0.22	--
योग		76.19	25.96

(स्रोत: वित्त लेखे 2017–18)

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों/संस्थाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी एवं राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।

मध्य प्रदेश वित्त निगम (निगम) द्वारा प्रत्याभूति शुल्क ₹ 76.25 करोड़ अदा न किया जाना

निगम के अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि अवधि 2009–10 से 2016–17 के दौरान निगम ने ₹ 1,050 करोड़ की राशि सिडबी, हुडको एवं वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थानों से मध्य प्रदेश शासन की प्रत्याभूति पर बॉण्ड एवं ऋण के द्वारा जुटाई। प्रत्याभूति की अवधि 10 वर्ष थी एवं निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन को 7.50 प्रतिशत की दर से ₹ 78.75 करोड़ (₹ 1,050 करोड़ का 7.50 प्रतिशत) की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था।

2012–13 से 2014–15 की अवधि के दौरान, निगम ने मध्यप्रदेश शासन को ₹ 2.50 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया परंतु बाद के वर्ष से इसे बंद कर दिया। निगम ने प्रत्याभूति शुल्क माफ करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के साथ पत्राचार शुरू किया, हालांकि निगम के अनुरोध संबंधी मध्य प्रदेश शासन का निर्णय निगम के अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निगम ने मध्यप्रदेश शासन को ₹ 76.25 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

निगम ने जवाब (जून 2019) दिया कि मध्यप्रदेश शासन प्रत्याभूति शुल्क के माफी के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था और नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क को अदा करने का निश्चय किया। निगम अब मामले को निदेशक मंडल के समक्ष रखेगा एवं मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। पूर्व वर्ष की स्थिति में, ₹ 74.24 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में प्राप्त हुआ एवं राज्य सरकार द्वारा ₹ 74.24 करोड़ का समरूप अंशदान किया जाना था। इस प्रकार 2017–18 में राज्य शासन द्वारा ₹ 148.48 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में किया जाना था परंतु राज्य शासन द्वारा कोई भी अंशदान निधि में नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 148.48 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इसके कारण ₹ 148.48 करोड़ से राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटा को कम कर बताया गया। ₹ 14,002.99 करोड़ की बकाया प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 408.79 करोड़ का शेष था जो कि केंद्र सरकार की दिनांकित सिक्क्योरिटी में निवेशित की गई।

अनुशंसा: राज्य शासन को योजना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान करना चाहिए।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 ऋण रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता³³ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण³⁴, ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ की पर्याप्तता³⁵, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता³⁶, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्ति³⁵ की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.6.2 लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि

2013–18 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि का विस्तृत विवरण तालिका 1.36 में दिया गया है।

³³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है। यह अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

³⁴ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो।

³⁵ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

³⁶ कुल ऋण प्राप्ति³⁵ की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियों) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्ति³⁵ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

तालिका 1.36: लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि
(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	23,701	35,552	49,524	64,106	52,579
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	23,132	30,759	39,157	44,528	45,551
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधियाँ *	569	4,793	10,367	19,578	7,028
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत में)	2.40	13.48	20.93	30.54	13.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निधियाँ = लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के तहत कुल प्राप्तियाँ – (लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं का पुनर्भुगतान + मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज भुगतान)

जैसा कि तालिका 1.36 से देखा जा सकता है कि ऋण एवं ब्याज चुकाने के बाद निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान 2.40 प्रतिशत से 30.54 प्रतिशत के बीच रहा एवं विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन छोड़ दिया गया।

1.6.3 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। तालिका 1.37 2013–14 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.37: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण-संधारणीयता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 ³⁷	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि	569	4,793	10,367	19,578	7,028
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियों का अनुपात) (प्रतिशत में)	8.44	7.98	7.67	7.36	8.19
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
बकाया ऋण (राजकोषीय देनदारियाँ)	96,826	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363
बकाया ऋण की वृद्धि दर (राजकोषीय दायित्व) (प्रतिशत में)	7.38	12.25	16.98	22.54	10.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.37	9.25	10.48	20.51	10.61
बकाया ऋण (राजकोषीय देनदारियाँ) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.03	22.64	23.97	24.37	24.38
ब्याज भुगतान	6,391	7,071	8,091	9,079	11,045
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³⁷ उदय के प्रभाव को जोड़कर

1.6.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों³⁸ एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के 75 प्रतिशत ऋण को पाँच³⁹ वर्षों में ले लेगी। 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों का कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ था एवं इसका 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26,055 करोड़ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए जाने हेतु सहमति दी गई थी। 2016-17 और 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए मध्य प्रदेश डिस्कॉम के ऋण का विवरण तालिका 1.38 दिया गया है।

तालिका 1.38: 2016-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये जाने वाले मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि		विद्युत वितरण कम्पनियों को वास्तविक रूप से हस्तांतरित की गई राशि	
	अनुदान के रूप में	इक्विटी के रूप में	अनुदान के रूप में	इक्विटी के रूप में
2016-17	-	7,568	4,011	3,557
2017-18	4,622	-	611	4,011
योग	4,622	7,568	4,622	7,568

(स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के मध्य समझौता ज्ञापन एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 1.38 से देखा जा सकता है मध्य प्रदेश शासन ने अब तक समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

³⁸ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

³⁹ 1. 2016-17 के दौरान ₹ 7,568 करोड़, 2. 2017-18 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 3. 2018-19 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 4. 2019-20 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 5. 2020-21 के दौरान ₹ 4,621 करोड़